निर्णय बइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 90 / 2003

दायरा दिनांक :– 29.10.2003

निर्णय दिनांक :– 16.01.2023

उनवान

महावीर प्रसाद पुत्र श्री राधेश्याम दत्तक पुत्र श्री सीताराम जाति धाकड निवासी कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां राज0 –वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)
2. द्वारकाबाई बेवा सीताराम धाकड निवासी कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 16.01.2023

अभिभाषक उपस्थित :–1 श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0– वादी
2 श्री नरेन्द्रसिंह हाडा एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किग्राम कलमण्डा तहसील बारां में आराजियात खसरा नं0 1488 रकबा 0.37 हे0, खसरा नं0 1501 रकबा 1.65 हे0,खसरा नं0 1566 रकबा 2.74 हे0,खसरा नं0 1685 रकबा 2.90 हे0,खसरा नं0 1864 रकबा 3.25 हे0,कुल 5 किता रकबा 10.91 हे0स्थित है। जिसे दावे में आगे विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त आराजियात रेवेन्यू रिकार्ड में वादी के पिता सीताराम पुत्र मोडूलाल के खाते दर्ज है। उनकी पत्नी बिरजी बाई का देहान्त हो चका है। नाते शुदा पत्नी प्रतिवादी कम 2 है। श्री सीताराम जी अपने वसीयत दिनांक 27.11.90 द्वारा चरण क्रम 1 वाद पत्र में वर्णित आराजियात का वादी को अधिकारी, स्वामी घोषित करके गये है। वादी ही स्व0 सीताराम जी का एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी है। तथा बहैसियत उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र सीताराम जी आराजियात पर मुताबिक वसीयत कलमण्डा की आराजी खसरा नं0 1685 रकबा 2.90 हे0 को छोडकर शेष पर काबिज है। व काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादी अपने खातेदारी [illegible] की घोषणा कराने तथा आराजियात अपने खाते दर्ज कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन करा पाने का अधिकारी व नालिशी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

प्रतिवादी के कर्मचारी सर्वथा गलत तौर पर वादी को विवाद में उलझाने व उसके हकूकों में दखलअन्दाजी पैदा करने के लिए कथित वसीयत 19.07.89 को अंतिम वसीयत दिनांक 27.11.1990 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। तथा जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद भी वादी के खातेदारी हकूक स्वीकार न करके अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे है। जिससे वादी के हकूकों में दखल अन्दाजी की पूरी–पूरी आंशका है। वादी ही सीताराम जी का एकमात्र वारिस व वैधानिक उत्तराधिकारी है। तथा हिन्दू कानून के अनुसार आराजियात अपने खाते दर्ज करा पा सकने का अधिकारी है। लेकिन प्रतिवादी के कर्मचारि इस पर ध्यान नहीं दे रहे है। सीताराम जी ने अपनी वसीयत दिनांक 27.11.90 में वादी को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया है। तथा गांव में दत्तक ग्रहण की रस्म के गवाह मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिवादी के कर्मचारी मनमाने तौर पर वादी के हकूकों में दखल अन्दाजी पर आमादा है इस बाबत वादी द्वारा आवेदन करने के बाद भी दिनांक 29.06.91 को तथा 09.07.91 को धमकी दी कि वह वादी को अधिकारी नहीं मानते, इससे वादी को अपने हकूकों में दखल अन्दाजी होने फसल व काश्त का नुकसान होने तथा गलत अंकन होने पर अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी में उलझने की पूरी आशंका है। अतः वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी व नालिशी है। वाद कारण दिनांक 09.07.91 को अंतिम बार वादी के हकूकों को अस्वीकार कर व दखल अन्दाजी की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2043–46 खाता सं0 370, नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसा सम्वत् 2061–64 खाता सं0 174, नकल वसीयतनामा दिनांक 27.11.90 सीताराम द्वारा महावीर प्रसाद के पक्ष में की गई है। साक्ष्य वादी में pw1महावीर प्रसाद, pw2 नाथूलाल, pw3 धनराज के बयान करवाये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2064–67, नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसा सम्वत् 2065–68 पेश की गई। साक्ष्य प्रतिवादीdw1 द्वारकीबाई के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नं01ः– आया कि वादी मुताबिक वसीयत दिनांक 27.11.90 विवादित आराजीयात ग्राम कलमण्डा कुल कुल किता 4 रकबा 8.01 है। तथा [illegible] तहसील बारां की आराजी कुल 3 किता रकबा 2.29 हे0 को बतौर खातेदार कृषक [illegible] रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने का वैधानिक अधिकारी है।
–वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

तनकी नं0 2:—आया वादी विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुंचाने बाबत प्रतिवादी को जर्ये निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वैधानिक अधिकारी है।

—वादी

तनकी नं0 3:—आया सीताराम की अंतिम वसीयत दिनांक 27.11.90 की है। जो वादी के नाम है। तथा वही वसीयत अंतिम है तथा मुताबिक वसीयत वादी ग्राम कलमण्डा की खसरा नं0 1685 रकबा 2.00 हे0 को छोडकर शेष भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

—वादी

तनकी नं0 4:—आया वसीयत दिनांक 10.07.89 अंतिम वसीयत दिनांक 27.11.90 से निरस्त की जा चुकी है।

—वादी

तनकी नं0 5:—आया प्रतिवादिया मृतक सीताराम द्वारा नाते लाई गई थी। तथा हिन्दू विधि अनुसार नाते लाई गई स्त्री को मृतक की सम्पति में बहैसियत पत्नी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा वादी मृतक खातेदार बिरजीबाई एवं सीताराम जी का बहैसियत गोद पुत्र एवं वसीयत दिनांक 27.11.1990 जो कि मृतक सीताराम जी की विधि अनुरूप अंतिम वसीयत थी के अनुसार खातेदार कृषक है।

—वादी

तनकी नं0 6:—आया वादी प्रतिवादीया के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।

—वादी

तनकी नं0 7:—आया सीताराम जी ने कभी भी वादी को दत्तक पुत्र नहीं लिया तथा वसीयत दिनांक 27.11.90 कतई फर्जी, बनावटी एवं कूटकत है। जो वादी द्वारा बाद मृत्यु सीताराम निर्मित की जाने से इसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है।

—प्रतिवादीया

तनकी नं0 8:—आया वादी ने बनावटी एवं कूटकत वसीयत दिनांक 27.11.90 के आधार पर विवादित भूमि पर खातेदार स्व0 सीताराम जी के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस निमित्त खोला गया इन्तकाल कमांक 145 दिनांक 28.05.92 वाके माल तुलसा प्रतिवादीया के खिलाफ अप्रभावी एवं शून्य है। तथा सीताराम जी ने प्रतिवादीया के पक्ष में ग्राम कलमण्डा की आराजी बाबत पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.07.89 संपादित करवाई इसका वाद पर क्या असर है।

—प्रतिवादीया

तनकी नं0 9:—आया फर्जी, बनावटी एवं कूटकत वसीयत दिनांक 27.11.90 से वादी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते तथा प्रतिवादिया ही स्व0 सीताराम जी की एकमात्र जायज वारिस एवं कायम मुकाम है।

—प्रतिवादीया

तनकी नं010:—आया हिन्दू रीति रिवाजानुसार पर[illegible] गोदनशीनी की रस्म के बिना गोद अमान्य है। तथा वादी अपने आप को गोद पुत्र बताना [illegible] बनावटी एवं काल्पनिक है।

—प्रतिवादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

तनकी नं011:—आया प्रतिवादीया माल रटावद की आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा पृथक करवाकर पृथक खाते दर्ज करवा पाने की अधिकारीणी है। **—प्रतिवादीया**

तनकी नं012:—आया प्रतिवादिया वादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। **—प्रतिवादीया**

तनकी नं013:—अनुतोष क्या होगा।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा व तुलसा में स्थित है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खातेदार सीताराम ने महावीर प्रसाद का गोद रखा था। तुलसा, रटावद व कलमण्ड की भूमि की वसीयत की थी। कुछ भूमि पत्नी के नाम की थी। सीताराम द्वारा वर्ष 1990 में वसीयत की थी। ये अंकित थी ग्राम तुलसा, रटावद की भूमि वसीयत के आधार पर दर्ज कर दी थी। शेष भूमि दर्ज करने से रह गई थी। दावे के दौरान पुत्री के पक्ष में दान कर दी। दावा लम्बित होने के बाद भी भूमि अन्तरण कर दी गई। दोनों पक्षकारों ने दावे किये है। वसीयत के आधार पर जो एक—दूसरे के साथ समेकित कर दिये है। मेरे द्वारा वसीयत के गवाहों के बयान कराये है। वसीयत के आधार पर दावा डिक्री होना है। द्वारकाबाई नाता पत्नी थी। भूमि पत्नी के नाम खाते दर्ज नहीं थी। जो खातेदार है उनको पक्षकार बनाया है। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। उसी वसीयत के आधार पर ग्राम तुलसा व रटावद की भूमि खाते दर्ज हुई है। खातेदार सीताराम द्वारा ग्राम कलमण्डा के खसरा नं0 1685 रकबा 2.90 हे0भूमि को छोड कर सम्पूर्ण भूमि महावीर प्रसाद के पक्ष में वसीयत की है हिन्दू कानून के अनुसार वादी महावीर प्रसाद एक मात्र वारिस व वैधानिक उत्तराधिकारी है। प्रथम वसीयत दिनांक 19.07.89, अन्तिम वसीयत दिनांक 27.11.90 द्वारा स्वतः ही निरस्त हो चुकी है। मृतक खातेदार सीताराम जी द्वारा वसीयत दिनांक 27.11.90 से वादी को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया है। वादी को वसीयत के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में बताया कि वादी महावीर द्वारा एक फर्जी वसीयतनामा 27.11.1990 को बना कर उक्त वाद पत्र में पेश किया गया है। जिसमें वादी द्वारा अपने आप को सीताराम का दत्तक पुत्र बताया गया है तथा वसीयतनामा दिनांक 27.11.1990 को फर्जी वसीयतनामा बनाया गया है। जो टाईपशुदा है तथा वसीयत नामे में गोद पुत्र होने का भी उल्लेख किया गया है। जो बारां में तैयार किया गया है। लेकिन रजिस्टार के यहां रजिस्टर्ड कराकर ना करा कर शपथ पत्र आयुक्त से तश्दीक करवाया है। जबकि शपथ आयुक्त का कार्य मात्र [illegible] में प्रस्तुत होने वाले शपथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

5. ...को तश्दीक करने का है। वसीयतनामा तश्दीक करने का कोई अधिकार शपथ आयुक्त को नहीं है। इस कारण उक्त दस्तावेज अवैध व फर्जी है जबकि सीताराम जी द्वारा इस फर्जी वसीयतनामा से पूर्व दिनांक 19.07.1989 को रजिस्टर्ड नामा पत्नि द्वारका बाई के नाम उपपंजीयक महोदय बारां के यहां पंजीयन करवाया गया है। जिसमें सम्पूर्ण जमीन जायदाद की मालकिन द्वारका बाई को बनाया गया है। यदि सीताराम जी 1990 में वसीयत करवाते तो वह रजिस्टर्ड होना चाहिए थी। तथा उक्त दिनांक को गोदनामा भी लिखाया जा सकता था। 1990 में जो फर्जी वसीयत तैयार की गई है। उस पर सीताराम जी पत्नि द्वारका बाई के कोई हस्ताक्षर नहीं है। बिना सहमति के कोई गोद पुत्र भी नहीं बनाया जा सकता है। इससे वसीयत नामा भी अपने आप से फर्जी है। द्वारका बाई द्वारा भी जो वाद पत्र पेश किया गया है। वह महावीर बनाम द्वारका बाई के साथ समायोजित है। राज्य सरकार द्वारा वृद्ध माता पिता के सरंक्षण हेतु जो कानून बनाया है। उसमें यदि पुत्र द्वारा गलत तरीके से कोई आराजियात अपने नाम करा ली है। तो उसे पुनः रेस्टोर किये जाने का प्रावधान है। वादी महावीर तत्समय जिला कलक्टर महोदय का पी.ए. था उसने अपने प्रभाव से तहसीलदार व हल्का पटवारियों पर अनुचित दबाव बनाकर उक्त फर्जी वसीयत नामा के आधार पर इंतकाल खुलवाया जो निरस्त होने के काबिल है। महावीर प्रसाद द्वारा एक अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां पेश की जो महावीर बनाम द्वारका बाई है जिसे दिनांक 26.09.1999 को निर्णय द्वारा अधिनस्त न्यायालय जिला कलक्टर बारां के निर्णय दिनांक 27.07.1998 को खारिज कर दिया। लडकी को पक्षकार नहीं बनाया है। खातेदार सीताराम की पत्नि मोजूद थी। फिर भी वादी गोद पुत्र बन गया। गोद नामा नहीं है। फर्जी है। वसीयत भी अनरस्टिर्ड है। वादी ने दावा अनावश्यक किया है। इनके द्वारा किया गया दावा चलने योग्य नहीं है। फर्जी है। वसीयत भी फर्जी है। इनके द्वारा कराई गई वसीयत के गवाह भी वही है। खातेदार मृतक सीताराम द्वारा महावीर प्रसाद को कभी गोद नहीं रखा। गोद पुत्र की कोई रस्म नहीं हुई। वादी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। वादी के नाम मृतक सीताराम ने कोई वसीयत नहीं करवाई है। मृतक सीताराम द्वारा दिनांक 19.07.89 को जो वसीयत करवाई गयी थी। वह रजिस्टर्ड वसीयत है। ग्राम तुलसा की आराजी का नामा0 सं0 145 दिनांक 28.05.92 अपने नाम दर्ज कर तस्दीक करवा लिया। वादी द्वारा खुलवाया गया इन्तकाल प्रतिवादी के विरूद्ध अवैध व प्रभाव शून्य है। वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:–

<u>तनकी नं0 1:–</u> इस तनकी को साबित करने का भार [illegible] था। नकल जमाबन्दी ग्राम कलमण्डा सम्वत् 2043–46 खाता सं0 370 के अनुसार [illegible] पुत्र [illegible]लाल जाति धाकड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम तुलसा सम्वत् 2061–64 खाता सं0 174 में महावीर प्रसाद मुतबला सीताराम कोम धाकड के खातेदारी में दर्ज है। नकल वसीयतनामा दिनांक 27.11.90 के अनुसार सीताराम पुत्र मोडूलाल धाकड निवासी कलमण्डा द्वारा अपने छोटे भाई राधेश्याम के पुत्र महावीर प्रसाद को गोद रख कर कानूनी पेचीदिया के डर से यह वसीयत की गई इससे यह साबित होता है। कि वसीयतनामा ग्राम कलमण्डा व ग्राम तुलसा की भूमि का किया जाता है। वसीयत के आधार पर ग्राम तुलसां की भूमि का नामा0 खोला जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है। परन्तु ग्राम कलमण्डा की भूमि का नामा0 दर्ज नहीं किया जा सका। वादी द्वारा वसीयत के आधार पर खातेदार कृषक घोषित कराने के लिए यह दावा पेश किया है। वादी को तुलसा की आराजी में खातेदारी दी जा चुकी है परन्तु कलमण्डा की भूमि पर खातेदारी वसीयत के आधार पर आज तक नहीं दी गई है। वादी वसीयत के आधार पर खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 2:–</u>इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत रिकार्ड एवं वसीयत के आधार पर वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा वादी का कब्जा काश्त नहीं होना साबित करने में विफल रहे है। वादी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी को काश्त करने में प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें इस हेतु पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 3:–</u> इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत वसीयत दिनांक 27.11.90 के अनुसार ग्राम कलमण्डा की आराजी खसरा नं0 1685 रकबा 2.90 है0 भूमि को छोडकर शेष भूमि एवं ग्राम तुलसा की भूमि की वसीयत वादी महावीर प्रसाद के नाम की गई है। वादी मुताबिक वसीयत अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। क्योंकि मृतक खातेदार द्वारा पूर्व में की गई पंजीकृत वसीयत के बाद अन्तिम वसीयत दिनांक 27.11.90 को वादी के पक्ष में कि गई है। वसीयत एक कानूनी प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से वसीयत कर्ता उसकी आखिरी इच्छाओं को अपने निधन पर अपनी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के रूप में रिकार्ड करता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

6. भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 18(ई) 1908 के अनुसार वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 4:</u>—इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत वसीयत दिनांक 10.07.89 के अनुसार मृतक खातेदार द्वारा प्रतिवादी कम 2 के नाम रजिस्टर्ड करवाई गई थी। परन्तु मृतक खातेदार द्वारा पुनः आन्तिम वसीयत वादी के पक्ष में दिनांक 27.11.90 को करवाई गई। इससे यह साबित होता है। कि पहले की गई वसीयत अन्तिम वसीयत करने पर स्वतः ही निरस्तमानी जाती है। वसीयत करने के वाद वसीयतकर्ता खुद वसीयत को रद्द कर सकता है। यदि वह अपने द्वारा किए गये। सम्पति के निपटाने या विभाजन से सन्तुष्ट नहीं है। वसीयत रद्द करना वसीयत को अमान्य बना देगा ओर इसे अब लागू करने योग्य नहीं माना जायेगा। अन्तिम वसीयत ही मान्य होगी। pw2नाथूलाल वpw3धनराज द्वारा अपने बयानों में कहा है। कि सीताराम द्वारा महावीर के पक्ष में पक्ष में वसीयत करवाई गई थी। जिसमें हम गवाह थी। वसीयत हमारे सामने लिखवाई थी। उस वसीयत हमारे लिए पढ कर सुनाई गई थी। उसके वाद सीताराम व नाथूलाल एवं धनराज ने हस्ताक्षर किए थे। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 5:</u>—इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा बताया कि प्रतिवादीया मृतक सीताराम की नाते लाई गई पत्नी थी। बिरजीबाई मृतक सीताराम की विवाहित पत्नी थी। बिरजीबाई व सीताराम का बहैसियत गोद पुत्र वादी है। तथा वादी के पक्ष में अन्तिम वसीयत दिनांक 27.11.90 को मृतक सीताराम द्वारा की गई थी। प्रतिवादीया द्वारा वादी के पक्ष मे की गई वसीयत को शून्य घोषित करवाने के लिये साक्ष्य न्यायालय मे वाद दायर करना चाहिये था। जो प्रतिवादिया द्वारा नही किया गया है। प्रकरण मे पूर्व मे पंजीकृत वसीयत द्वारका बाई के पक्ष मे की गई है। किन्तु कुछ वर्ष बाद सीताराम जी को लगा की उनकी देखभाल सही तौर पर नही हो रही है एवं पूर्व पत्नि बिरजी बाई के समय से श्री महावीर को गोद रखा था। उसका मूण्डन भी उनके द्वारा करवाया गया था। ऐसे मे गोद पुत्र महावीर के पक्ष मे न्याय नही कर पाने एवं महावीर द्वारा सीताराम की देखभाल से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बाद मे महावीर पुत्र राधेश्याम धाकड निवासी तुलसा के लिये वसीयत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

जिसमे सम्पति मे से श्रीमती द्वारका बाई को भी उसके गुजारे हेतु कुछ हिस्सा प्रदान किया गया है। द्वारका बाई को वंचित नही रखा गया है। वादी वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण भूमि को खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 6:—</u>इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत वसीयतनामा एवं राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा एवं तुलसा की भूमि की वसीयत वादी महावीर के पक्ष मे दिनांक 27.11.90 को की गई थी। ग्राम तुलसा की भूमि वादी महावीर के खातेदारी मे वसीयत के आधार पर नामांतरण सं0 145 से दर्ज रिकोर्ड की गई। परन्तु ग्राम कलमण्डा की आराजी वादी के खाते दर्ज नही की गई है। विवादित आराजी पर वादी का वसीयत के वाद से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी प्रतिवादिया को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णित है।

<u>तनकी नं0 7:—</u>इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीया को था। प्रतिवादिया द्वारा वादी के पक्ष मे की गई वसीयत दिनांक 27.11.90 को फर्जी एवं बनावटी साबित नही किया गया है। प्रतिवादिया द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नही किया। जिसमे वादी के पक्ष मे की गई वसीयत फर्जी व कूट रचित साबित हो सके।प्रतिवादिया यह साबित करने मे विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 8—9:—</u>इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीया पर था। प्रतिवादिया द्वारा वादी के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 27.11.90 को फर्जी, बनावटी, कूटकृत साबित करने या खारिज कराने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था वादी के पक्ष में की गई। वसीयत के आधार पर ग्राम तुलसा की भूमि का वसीयत के आधार पर नामा0 सं0 145 दिनांक 28.05.92 दर्ज किया गया। प्रतिवादिया द्वारा उक्त नामा0 को खारिज कराने एवं वसीयत को खारिज कराने की कोई कार्यवाही नहीं की है। यह भी जरूरी नहीं है कि पंजीकृत वसीयत मृतक सीताराम की अन्तिम वसीयतनामा है ... अपंजीकृत वसीयत भी की जा सकती है। जिसे वैध माना जायेगा क्योंकि ... पंजीकृत वसीयत के बाद करवायी गयी है। वह स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। प्र...वादीया मृतक सीताराम की नाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

...गई पत्नी है। विवाहिता पत्नी बिरजीबाई थी। बिरजीबाई एवं मृतक सीताराम की सहमति से वादी को गोद पुत्र रखा गया था। प्रतिवादिया को ग्राम कलमण्डा की आराजी में खसरा नं0 168 रकबा 2.90 हे0 भूमि छोडकर वादी के पक्ष में वसीयत की गई है। प्रतिवादीया वसीयत फर्जी, झूठी साबित करने में विफल रहे है। अतः यह तनकी प्रतिवादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं010:—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीया पर था। प्रतिवादीया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे वादी की गोद पुत्र की रस्म की हो। प्रतिवादीया यह साबित करने में विफल रही है। अतः यह तनकी प्रतिवादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 11:—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादिया पर था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रटावद सम्वत् 2064—67 खाता 56 के अनुसार वादी के 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीया वादी के खातेदारी की आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि ग्राम रटावद की भूमि वादी के 1/2 खातेदारी में दर्ज है। अतः यह तनकी प्रतिवादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 12:—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीया को था। विवादित आराजी ग्राम कलमण्डा तुलसा की आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है। तथा विवादित आराजी मृतक सीताराम द्वारा वादी को वसीयत की थी। प्रतिवादीया वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से प्राप्त नहीं कर सकती। अतः यह तनकी प्रतिवादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निस्तारण से हम इस निषकर्ष पर पहुंचते है कि वसीयत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वसीयत कर्ता उसकी आखरी इच्छाओं को अपने निधन पर अपनी सहमति के हस्तान्तरण के रूप में रिकार्ड करता है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 18(ई) 1908 के अनुसार वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है। कि पंजीकृत वसीयत मृतक की अन्तिम वसीयतनामा है। एक नई अपंजीकृत वसीयत भी की जा सकती है। जिसे वैध माना जायेगा। वसीयत करने के ... वसीयत कर्ता खुद वसीयत को रद्द कर सकता है। पंजीकृत वसीयत द्वारा... कुछ वर्षों बाद जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

...राम जी को लगा की उसकी देखभाल सही तौर पर नहीं हो रही है। महावीर वादी द्वारा सीताराम की देखभाल से प्रसन्न होकर उनके द्वारा वाद में महावीर वादी के पक्ष में वसीयत की है। अन्तिम वसीयत 27.11.90 को मानते हुए ग्राम तुलसा व ग्राम रटावद की भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। वादी का वाद वसीयत के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कलमण्डा तहसील बारां के खसरा नं0 1488 रकबा 0.37 हे0, खसरा नं0 1501 रकबा 1.65 हे0,खसरा नं0 1566 रकबा 2.74 हे0, खसरा नं0 1864 रकबा 3.25 हे0 भूमि पर वादी को वसीयत के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:18:56 IST
Reason: SelfAttested